## न्यायालयः— अपर जिला जज गोहद जिला भिण्ड म0प्र0 समक्ष—डी०सी०थपलियाल

1

प्रकरण क्रमांक 50 / 14 वैवाहिक

बीरू उर्फ बीरेन्द्र पुत्र श्री रामगोपाल आयु 25 वर्ष जाति जाटव, धंधा मजदूरी, निवासी ग्राम चितौरा, परगना गोहद जिला भिण्ड

------आवेदिका

बनाम

श्रीमती मिथलेश पत्नी श्री बीरू उर्फ बीरेन्द्र आयु 24 वर्ष पुत्री श्री छविराम जाति जाटव निवासी ग्राम चितौरा, हाल मदनपुरा परगना गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

-----अनावेदक

आवेदिका द्वारा श्री जी०एस०गुर्जर गुप्ता अधिवक्ता अनावेदिका द्वारा श्री जी०एस०गुर्जर अधिवक्ता

\_\_\_\_\_\_\_

//नि र्ण य//

// आज दिनांक 30/01/2015 को पारित किया गया //

- 1— आवेदकगण / याचिकाकर्तागण की ओर से प्रस्तुत आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा 13(ख)हिन्दू विवाह अधिनियम का निराकरण इस आदेश के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें उभयपक्षकारों के द्वारा आपसी सहमती के आधार पर विवाह विच्छेद की डिक्री की याचना की है ।
- 2— उभयपक्षों के द्वारा प्रस्तुत आवेदनपत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि बीरू उर्फ बीरेन्द्र (जो कि आवेदन पत्र में आवेदक के रूप में वर्णित किया गया है ) एवं श्रीमती मिथलेश (जो कि आवेदनपत्र में अनावेदिक के रूप में वर्णित की गयी है) (जिन्हें कि सुविधा की दृष्टि से पक्षकार कमांक 1 व 2 के रूप में वर्णित किया जायेगा) का विवाह दिनांक 1—6—09 को ग्राम मदनपुरा तहसील गोहद जिला भिण्ड में सम्पन्न हुआ था । पक्षकार कं01 एवं पक्षकार कं02 का शादी

के बाद से ही सामन्जस्य नहीं रह पाया और व्यवहारिक दृष्टि से तथा दाम्पत्य दृष्टि से एक दूसरे का मेल मिलाप नहीं रह पाया इसलिये अभीतक कोई सन्तान पैदा नहीं हुयी है। आवेदक कं01 एवं आवेदक कं02 करीब दो वर्ष से पूर्ण रूप से अलग अलग रह रहे हैं और एक साथ नहीं रह सके हैं और भविष्य में भी एक साथ रहने की कोई संभावना नहीं है । आवेदक कं01 एवं आवेदक कं02 के मध्य अब पारस्परिक सहमति के आधार पर विवाह विच्छेद करने पर से सहमति बन चुकी है जिसमें श्रीमती मिथलेश आवेदक कं02 के पिता द्वारा नगदी व दहेज में जो भी सामान व चीजें दी गई हैं वह पित बीरू उर्फ बीरेन्द्र आवेदक कं01 के द्वारा परस्पर सहमित से वापिस की जा रही है । भविष्य में एक दूसरे का कोई लेना देना नहीं रहा है और न रहेगा सभी प्रकार के प्रकरणों में भी परस्पर सहमित के आधार पर राजीनामा किये जा रहे हैं । उभयपक्षकारों के आपसी सहमित के आधार पर विवाह विच्छेद हेतु आवेदनपत्र दिनांक 22—7—14 को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है तथा प्रार्थना की है कि आवेदकगण के हक में दिनांक 1—6—09 को सम्पन्न हुये विवाह को परस्पर सहमित के आधार पर विघटित करने की डिकी पारित करने का निवेदन किया गया है। ।

- 3— उभयपक्षों के द्वारा प्रस्तुत आपसी सहमित के आधार पर विवाह विच्छेद की याचिका पेश होने के उपरांत न्यायालय के द्वारा दिनांक 25—7—14, 29—10—14, 13—10—14,16—1—15, 29—1—15 के उपरांत आगामी तिथि नियत की गयी जो कि याचिका पेश होने के उपरांत छः माह से अधिक समय व्यतीत हो चुका है | उपरोक्त याचिका के संबंध में पक्षकार कं01 बीरू उर्फ बीरेन्द्र एवं पक्षकार कं02 श्रीमती मिथलेश को न्यायालय के द्वारा पूछताछ की गयी और उनके कथन लेखबद्ध किये गये | पक्षकारों के मध्य किसी प्रकार के समझोता, सुलह होने की संभावना से साफ तौर से इन्कार करते हुये उनके द्वारा प्रस्तुत आपसी सहमती के आधार पर तलाक आवेदनपत्र को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया है |
- 4— उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में विचार किया गया | पक्षकारों के मध्य हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार विवाह सम्पन्न होना तथा पक्षकार कं01 बीरू उर्फ बीरेन्द्र की पक्षकार कं02 श्रीमती मिथलेख विवाहिता पत्नी होना स्पष्ट है | आपवसी सहमति के आधार पर उभयपक्षकारों के हस्ताक्षरित तथा फोटोयुक्त याचिका अन्तर्गत धारा 13(ख)हिन्दू विवाह अधिनियम पेश किया गया है | उभयपक्षकारों के मध्य आपसी सहमती, समझौते और उनके आपस में साथ साथ रहने की भी कोई संभावना भी दर्शित नहीं होती है | पक्षकार करीब दो वर्ष की अवधि से अलग अलग रह रहे हैं | आवेदनपत्र पेश हुये 6 माह से अधिक समय व्यतीत हो चुका है | पक्षकारों के द्वारा यह व्यक्त किया गया कि विवाह के समय दान दहेज में दिया हुआ सभी सामान पक्षकार कं02 को वापिस कर दिया गया है | पक्षकार कं02 किसी प्रकार का कोई

भरण पोषण पक्षकार कं0 1 से नहीं चाहती है उनका कोई भरण पोषण शेष नहीं है । 5— विचारोपरान्त उपरोक्त सभी परिप्रेक्ष्य में उभयपक्षकारान के द्वारा प्रस्तुत याचिका अन्तर्गत धारा 13(ख) हिन्दू विवाह अधिनियम स्वीकार करते हुये इस संबंध में उभयपक्षों की सहमती के परिप्रेक्ष्य में निम्न आशय की आज्ञप्ति पारित की जाती है :—

1—आवेदिका पक्षकार कं01 बीरू उर्फ बीरेन्द्र तथा श्रीमती मिथलेश पक्षकार कं02के मध्य सम्पन्न हुआ विवाह दिनांक 1—6—09 आपसी सहमती के आधार पर बिच्छेदित किया जाता है |

2-उभयपक्षकार वैवाहिक संबंधों से स्वतंत्र रहेंगे ।

3-उभयपक्ष अपना अपना वाद व्यय स्वंय वहन करेंगे ।

तद्नुसार आज्ञप्ति तैयार की जाये ।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित हस्ताक्षरित कर पारित किया गया ।

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया

(डी०सी0थपलियाल) अपर जिला जज गोहद जिला भिण्ड (डी0सी0थपलियाल) अपर जिला जज गोहद जिला भिण्ड